

प्रेस नोट दिनांक 08.10.2020

1. दिनांक 07.10.20 को वादी नन्हे यादव पुत्र राजाराम नि० बड़ा भक्तमाल के बगल अहिराना रामघाट थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जय मिश्रा पुत्र राजन मिश्रा नि० नगर पालिका अयोध्या के पास थाना को०अयोध्या अयोध्या आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा वादी को मारना पीटना गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 724/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 07.10.20 को वादी श्री ओम पाल सिंह पुत्र कन्ही सिंह नि० क्वेल खुर्द थाना अरनिया बुलन्दशहर द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन ट्रक का चालक वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पुत्र की गाड़ी में टक्कर मार देना जिससे गम्भीर चोटें आना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 455/20 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 07.10.20 को वादी श्री सत्यपाल पुत्र राजाराम पाल नि० निजामपुर बनकटवा थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42बीटी 8839 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर गाड़ी में टक्कर मार देना जिससे वादी के पिता को गम्भीर चोटें आना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 405/20 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 07.10.20 को वादी उ०नि० श्री सुधीर कुमार थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सोनू रावत पुत्र चन्दी रावत नि० अजई मऊ थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी गिर० अभियुक्त के कब्जे से 1200 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 195/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।